भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1382
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

रोजगार सृजन

1382. श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः
श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रोजगार सृजन और वित्तीय संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कोई स्पष्ट ढांचा तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) रोजगार सृजन और रचनात्मक वित्तीय अवसरों हेतु पहचान किए गए क्षेत्र क्या हैं और इस ढांचे की पहचान हेतु समय-सीमा क्या है;
(ग) क्या सरकार रोजगार सृजन हेतु कोई ठोस कदम उठाने पर गंभीरता से विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार का सृजन करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके परम्परागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी सहायता करना है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इसके लिए पात्र है। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं को स्थापित करने और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को शैक्षणिक रूप से न्यूनतम VIIIवीं स्तर तक उत्तीर्ण होना चाहिए। सामान्य श्रेणी का लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन राशि की सहायता प्राप्त कर सकता है। विशेष श्रेणियों, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाएं, सेवानिवृत्त सैन्य-कर्मी, दिव्यांग, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र आदि, के लाभार्थियों के लिए मार्जिन राशि ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। निर्माण क्षेत्र में अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए है। पीएमईजीपी के तहत केवल नई इकाईयां स्थापित करने के लिए लाभ लिया जा सकता है।

योजना 2008-09 के दौरान आरंभ की गई थी। पीएमईजीपी के आरंभ से 31.03.2019 तक अनुमानित 45.22 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए 12074.04 करोड़ रुपए की मार्जिन राशि की सहायता से कुल 5.45 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता दी गई है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा भी प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार तक पहुंच हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****